मद **4 (1) (ख) - (iii)**

पर्यवेक्षण और दायित्व के माध्यमों सहित निर्णयन प्रक्रिया में अपनाई गई क्रियाविधि

3. पर्यवेक्षण और दायित्व के माध्यमों सहित निर्णयन प्रक्रिया में अपनाई गई क्रियाविधि।

3.1 कारपोरेशन, देश में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए राज्यों की विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को तथा साथ ही स्वतंत्र प्राइवेट परियोजना विकासकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्कीमें तैयार करने, ऋण स्वीकृत एवं संवितरण करने और स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/राज्य की विद्युत यूटिलिटियों और प्राइवेट उद्यमियों के साथ आरईसी की वित्त व्यवस्था के कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए कारपोरेशन का एक सुसंगठित ढ़ांचा है जो विभिन्न विभागों/प्रभागों में बंटा हुआ है। विभिन्न विभागों/प्रभागों द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि नीचे दिए अनुसार है-

3.2 <u>पारेषण और वितरण (टी एंड डी)प्रभाग</u>

3.2.1 स्कीमें मंजूर करने की क्रियाविधः-

वर्तमान में यूटिलिटियों द्वारा स्कीमें या परियोजनाएं, देश के विभिन्न राज्यों में स्थित आरईसी के संबंधित परियोजना कार्यालयों में प्रस्तुत की जाती हैं। प्रत्येक श्रेणी की स्कीम तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। इनमें वे फार्मेट शामिल हैं, जिनमें यूटिलिटियों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की जानी है। परियोजना कार्यालय के मुख्य परियोजना प्रबंधक/संबंधित अधिकारी तकनीकी-आर्थिक रूप से और वित्तीय पहलुओं के अनुसार स्कीमों का मूल्यांकन करते हैं तथा यदि आरईसी के मापदंडों के अनुसार परियोजनाओं में संशोधन/परिवर्तन अपेक्षित है, तो उन्हें संबंधित विद्युत यूटिलिटियों के साथ परामर्श करके किया जाता है। यदि विस्तृत परियोजना रिपोर्टों/परियोजना रिपोर्टों में उपलब्ध सूचना/आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं तो क्षेत्र का मूल्यांकन भी किया जाता है। तदुपरांत मुख्य परियोजना प्रबंधक की सिफारिशों के साथ स्कीमों को कारपोरेट कार्यालय के पास भेज दिया जाता है।

एसपीए(पीई) श्रेणी के तहत पंपसेट ऊर्जायन स्कीमें, जिनमें एक करोड़ रुपए तक का ऋण परिव्यय निहित होता है, वर्तमान में परियोजना कार्यालयों में मुख्य परियोजना प्रबंधकों द्वारा मंजूर की जाती हैं और स्वीकृति पत्र उन्हीं के स्तर पर जारी किए जाते हैं। परियोजना कार्यालय में स्वीकृत की गई इन योजनाओं के ब्यौरे (संख्या और ऋण की राशि) कारपोरेट कार्यालय के स्वीकृति डेस्क को सूचनार्थ भेजे जाते हैं।

एक करोड़ रुपए से अधिक के ऋण परिव्यय की स्कीमों पर कार्रवाई परियोजना कार्यालय में की जाती है और उसके बाद आगामी संवीक्षा/कार्रवाई करने हेतु कारपोरेट कार्यालय में संबंधित डेस्क को भेज दिया जाता है।

कारपोरेट कार्यालय में, दिशा-निर्देशों की अनुरूपता के अनुसार जांच करने हेतु टी एंड डी के संबंधित डेस्क में स्कीमों की पुनःसंवीक्षा की जाती है। यदि आवश्यक होता है तो यूटिलिटीज के साथ परामर्श करके स्कीमों में आगे संशोधन किए जाते हैं।

तदुपरांत स्कीमों को, कारपोरेट कार्यालय में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की मूल्यांकन टिप्पणी/सिफारिशों के साथ, महाप्रबंधक(टी एंड डी) के पास प्रस्तुत किया जाता है।

इसके बाद, टीएंडडी प्रभाग का स्वीकृति डेस्क स्कीमों को ऋण राशि के आधार पर स्वीकृति की सिफारिश अथवा स्वीकृति के लिए संवीक्षा समिति/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारिणी समिति/निदेशक मंडल के पास प्रस्तुत करता है । सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय सहमति प्राप्त की जाती है। प्रत्येक स्कीम के ऋण परिव्यय के आधार पर स्कीमों को संवीक्षा समिति/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारिणी समिति/ ऋण समिति द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है अथवा निदेशक मंडल को, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत कर दिया जाता है।

कार्यालय आदेश सं. एसईसी-1/195(ए)/2009/953 दिनांक 27.4.2009 के अनुसार स्कीमें स्वीकृत करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन नीचे अनुसार किया गया है:-

क्र. सं.	शक्ति का स्वरूप	शक्ति का प्रत्योजन	शक्ति का मात्रा	वर्ष 2009-10 और आगे के लिए वार्षिक वित्तीय सीमा
1.	केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत यूटिलिटियों या केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को ऋणों की स्वीकृति	इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर गठित संवीक्षा समिति।	प्रत्येक मामले में 20 करोड़ रुपए तक	4, 000 करोड़ रुपए तक
		अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	संवीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक मामले में 100 करोड़ रुपए तक	8,000 करोड़ रुपए तक
		कार्यकारिणी समिति, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक(वित्त), निदेशक (तक.) और कार्यकारी निदेशक टीएंडडी) शामिल होंगे।	संवीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक मामले में 150 करोड़ रुपए तक	16,000 करोड़ रुपए तक
		ऋण समिति, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक और एक सरकारी नामिती निदेशक शामिल होंगे, जिसका कोरम तीन निदेशकों का होना चाहिए, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और एक सरकार द्वारा नामित निदेशक भी शामिल होंगे।	संवीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक मामले में 150 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए तक	20,000 करोड़ रुपए तक
2.	प्राइवेट क्षेत्र के विद्युत युटिलिटियों को ऋणों की स्वीकृति	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	संवीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक मामले में 50 करोड़ रुपए तक	2,000 करोड़ रुपए तक
		कार्यकारिणी समिति, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक(वित्त), निदेशक (तक.) और कार्यकारी निदेशक (टीएंडडी) शामिल होंगे।	संवीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक मामले में 100 करोड़ रुपए तक	4,000 करोड़ रुपए तक
		ऋण समिति, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक और एक सरकारी नामिती निदेशक शामिल होंगे, जिसका कोरम तीन निदेशकों का होना चाहिए, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और एक सरकार द्वारा नामित निदेशक भी शामिल होंगे।	संवीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक मामले में 100 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए तक	4,000 करोड़ रुपए तक

3.2.2 पारेषण एवं वितरण स्कीमों की स्वीकृति वापस लेने, उन्हें रद्द और बंद करने के लिए दिशा-निर्देश

पारेषण एवं वितरण स्कीमों की स्वीकृति वापस लेने, उन्हें रद्द और बंद करने के लिए दिशा-निर्देशों को परिपत्र सं. आरईसी/टीएंडडी/दिशानिर्देश/2006-07/689, दिनांक 04.05.2006 के तहत विधिवत परिचालित किया गया है, जो आरईसी आरटीआई डीओसी 5.1.2 के रूप में उपलब्ध हैं।

3.3 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) प्रभाग

3.3.1 भारत सरकार ने 18 अप्रैल, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 44/19/2004-डी(आरई)के द्वारा "ग्रामीण विद्युत बुनियादि सुविधाएं और आवास विद्युतीकरण स्कीम-राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई) "आरंभ की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पांच वर्ष में समस्त ग्रामीण आवासों तक बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना था। यह स्कीम आरईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र परियोजना लागत की 90% पूंजी सब्सिडी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। दसवीं योजना अवधि के दौरान स्कीम के पहले चरण को कार्यान्वित करने के लिए 5000 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी अनुमोदित की गई थी।

सभी आवासों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पाने हेतु ग्याहरवीं योजना में स्कीम को जारी रखने के लिए इस अवधि के दौरान 28,000 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी सहित विद्युत मंत्रालय को का.ज्ञा.सं.44/37/07-डी(आरई)दिनांक 6 फरवरी, 2008 द्वारा सूचना दी गई।

3.3.2 आरजीजीवीवाई के तहत परियोजनाएं स्वीकृत करने की क्रियाविधि

आरईसी द्वारा जारी की गई आरजीजीवीवाई के तहत परियोजना तैयार करने के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना को प्रायोजित करने वाले संबंधित प्राधिकरण (राज्य सरकार) द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर), राज्य के लिए आरईसी के संबंधित परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत की जाती हैं। तदुपरांत, परियोजना तैयार करने के दिशा-निर्देशों तथा विद्युत मंत्रालय के दिनांक 18.03.2005 और 06.02.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार परियोजना कार्यालय द्वारा विद्युत परियोजना रिपोर्टों की संवीक्षा की जाती है। परियोजना कार्यालय द्वारा परियोजनाओं का क्षेत्रीय मूल्यांकन कर लेने के बाद कारपोरेशन की वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं को स्वीकृत करने हेतु विचार करने के वास्ते अपनी सिफारिशों के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्टें(डीपीआर)आरजीजीवीवाई प्रभाग, आरईसी, कारपोरेट कार्यालय को भेज दी जाती हैं। परियोजना तैयार करने के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरजीजीवीवाई प्रभाग, आरईसी, कारपोरेट कार्यालय में विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की पुनः संवीक्षा की जाती है तथा परियोजना कार्यालय की सिफारिशों की पुनरीक्षा करने के बाद, यदि वे स्वीकार्य पाई जाती हैं तो परियोजनाओं के अनुमोदन पर विचार करने हेतु प्रोसेस और सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत की जाती हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजना को विद्युत मंत्रालय में आरजीजीवीवाई की मॉनीटरिंग कमेटी की मंजूरी हेतु भेजा जाता है।

3.3.3 आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के तहत निधियों का संवितरण

आरजीजीवीवाई स्कीम के तहत निधियों का संवितरण मुख्य रूप से संबंधित पार्टियों के बीच सम्पन्न द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय/चतुष्पक्षीय करार द्वारा [करार इस स्थिति पर निर्भर करता है कि क्या परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी राज्य सरकार या राज्य की विद्युत यूटिलिटी (डिस्कॉम या रा.बि.बो.) या पॉवरग्रिड, एनएचपीसी, डीवीसी, एनटीपीसी आदि जैसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं] तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद आरईसी के संबंधित परियोजना कार्यालय के मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा जारी किए गए परियोजना से संबंधित, स्वीकृति पत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए, संबंधित राज्य सरकार उनकी ओर से कार्यान्वित करने वाली एजेंसी को सीधे परियोजना(ओं) के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करने के लिए आरईसी को प्राधिकार देती है ताकि परियोजना(ओं) के निर्माण के लिए किए गए खर्च को पूरा किया जा सके। परियोजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु आरईसी सीधे कार्यान्वयन एजेंसी को जारी की गई समस्त राशि संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऋण/सब्सिडी के रूप में ले ली गई

मानी जाती है तथा इन परियोजनाओं के लिए आरईसी द्वारा जारी किए गए स्वीकृत पत्र(त्रों) में यथाउल्लिखित शर्तों और निबंधनों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार इन निधियों के ऋण संघटक, उस पर देय ब्याज और अन्य प्रभारों की अदायगी करने का भी वचन देती है।

3.4 विद्युत उत्पादन प्रभाग

3.4.1 विद्युत उत्पादन स्कीमें स्वीकृत करना

राज्य बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों/प्राइवेट सेक्टर को उनकी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं जैसे जल विद्युत, ताप विद्युत (कोयला और गैस आधारित), आरएंडएम, अपारंपरिक, विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन इत्यादि के लिए निधियां उपलब्ध कराता है। आरईसी विद्युत परियोजनाओं के लिए अग्रणी वित्तदाता (फाइनेंसर) का कार्य भी करता है। तथापि, अपारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत विशिष्ट सब-सेक्टर का निधिकरण कंपनी के नीति संबंधी निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

3.4.2 ऋणों के लिए आवेदन-पत्र और उन पर कार्रवाई करना

सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य बिजली बोर्ड और प्राइवेट आईपीपी के लिए हमारे निर्धारित फार्मेट में आवेदन-पत्र (जो हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है) कारपोरेट कार्यालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, इसमें ऋण सहायता के मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की जांच-सूची शामिल होती हैं। अनिवार्य दस्तावेजों के साथ आवेदन-पत्र आंचलिक/परियोजना कार्यालयों में भी स्वीकार किए जाते हैं जो सम्पूर्ण दस्तावेजों और संबंधित पूरी सूचना के साथ कारपोरेट कार्यालय को भेज दिए जाते हैं।

विद्युत उत्पादन शाखा में आवेदन-पत्र तथा प्रक्रिया शुल्क, जिन मामलों में लागू हो, प्राप्त हो जाने के बाद अनिवार्य दस्तावेजों की उपलब्धता की जांच करने के लिए प्रारंभिक संवीक्षा अथवा प्रथमदृष्टया अध्ययन किया जाता है। दस्तावेजों का पूरा सेट तथा संबंधित पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर, मूल्यांकन की प्रक्रिया आरंभ होती है।

3.4.3 ऋण का मूल्यांकन तथा निबंधन और शर्तें

आरईसी आंतरिक प्रक्रियाविधि के अनुसार परियोजनाओं का उनकी व्यवहार्यता तथा अन्य मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन सुनिश्चित करता है।

तकनीकी-आर्थिक और उधारकर्ता के मूल्यांकन, संवीक्षा के बाद स्वीकृत किए जाने वाले ऋण की राशि, निबंधन एवं शर्तों आदि को अंतिम रूप दिया जाता है। हालांकि गुण-दोषों और समस्त व्यवस्थाओं को सुनियोजित करने की स्थिति पर निर्भर करते हुए वृहद-परियोजनाओं को स्वीकृति देने में समय लगता है फिर भी आरईसी पूर्ण सूचना/दस्तावेज प्राप्त होने के 120 दिन के अंदर परियोजनाओं को स्वीकृति देने का प्रयास करता है। इसके लिए लिया जाने वाला समय, उस समय विचाराधीन परियोजनाओं और संगठनात्मक प्रक्रियाविधि पर भी निर्भर करेगा।

उधारकर्ता को ऋण की स्वीकृति की सूचना विस्तृत निबंधन और शर्तों के साथ एक स्वीकृति पत्र के माध्यम से परियोजना कार्यालय या कारपोरेट कार्यालय द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, दी जाएगी। राज्य क्षेत्र के मामले में आंचलिक/मुख्य परियोजना प्रबंधक स्वीकृति पत्र में निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार ऋण संबंधी दस्तावेज तैयार कराएगा। प्राइवेट सेक्टर की परियोजनाओं के मामले में ऋण संबंधी दस्तावेज विधि प्रभाग की सहायता से कारपोरेट कार्यालय द्वारा तैयार कराए जाते हैं।

3.4.4 ऋणों का संवितरण

विधि दस्तावेज निष्पादित हो जाने के बाद, अपेक्षित प्रतिभूतियां तैयार कराई जाती हैं तथा संवितरण से पूर्व की शर्तें पूरी की जाती हैं। ऋण का संवितरण स्वीकृति पत्र में किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वित्त प्रभाग

3.5.1 कारपोरेशन का वित्त प्रभाग संसाधन जुटाने, स्वीकृत परियोजनाओं के तहत निधियों का संवितरण करने और बकाया प्राप्त राशियों की वसूली करने तथा कारपोरेशन के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए प्रभाग में अनुपालन की जाने वाली क्रियाविधि नीचे दिए गए अनुसार है:-

3.5.2 दावों पर कार्रवाई करना

दावा प्रभाग में प्राप्त दावों पर कार्रवाई और जांच की जाती है और अंतत: उप महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा अदायगी के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है। लेकिन अल्पकालिक ऋणों तथा डेब्ट रिफाइंनेसिंग लोन को छोड़कर, जे निदेशक (वित्त) द्वारा अदायगी के लिए अनुमोदित किए जाते हैं। ऐसे अनुमोदित दावे वाउचर तैयार करने के लिए ऋण अनुभाग को भेजे जाते हैं।

3.5.3 ऋण की किस्तें जारी करना

दावा अनुभाग से अनुमोदित दावे प्राप्त होने पर, ऋण अनुभाग द्वारा वाउचर तैयार किए जाते हैं। प्रबंधक(वित्त) द्वारा इनकी जांच की जाती है और इन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और इलेक्ट्रोनिक रूप से निधियों का अंतरण करने के लिए या चैक/डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंकिंग अनुभाग को भेजे जाते हैं। उधारकर्ता के लेखे में एक बार निधियां अंतरित किए जाने के बाद ऋण जारी करने की सूचना संबंधित उधारकर्ता को दी जाती है। चैक/डिमांड ड्राफ्ट के मामले में, ऋण के विवरण सहित चैक/डिमांड ड्राफ्ट का अग्रेषण पत्र जारी किया जाता है। ब्याज और मूलधन की वसूली के लिए, ऋण अनुभाग द्वारा नियत तारीखों से पहले मांग नोटिस भेजे जाते हैं।

3.5.4 कारपोरेट लेखे और कराधान (सीएटी)

कैट(सीएटी)अनुभाग में प्राप्त कारपोरेट कार्यालय और परियोजना कार्यालयों की प्राप्तियों, भुगतानों और जर्नल वाउचरों की डाटा एंट्री का काम लेखाकारों/सहायक अधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा सहायक प्रबंधक द्वारा परीक्षण जांच की जाती है। तिमाही तुलनपत्र और वित्तीय परिणाम सहायक प्रबंधक द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा महाप्रबंधक(वित्त), निदेशक(वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित कराए जाते हैं।

3.5.5 संसाधन जुटाना

उधार लेने का वार्षिक कार्यक्रम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तदनुसार जब-जब जितनी अपेक्षित होती है , तब-तब उतनी राशि उधार ली जाती है। इस संबंध में शक्तियों के प्रत्यायोजन के आधार पर आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। निवेश के लिए, शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित हमारी एक निवेश नीति है।

3.5.6 <u>वसूली</u>

उप महाप्रबंधक के अधीन एक वसूली प्रकोष्ठ है। यह प्रकोष्ठ सभी प्राप्तियों की मानिटरिंग करता है और चूक के मामलों में उधारकर्ता से लगातार संपर्क किया जाता है। इस मामले में परियोजना कार्यालय और प्रचालन प्रभाग भी सहयोग देता है।

यदि किसी कारणवश, सामान्य समझी जाने वाली अवधि से लंबी अवधि तक चूक की जाती है तो उच्च स्तर से कार्रवाई की जाती है। कुछ मामलों में, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पुन: समय सीमा तय करने/ऋण माफ करने आदि पर विचार किया जाता है।

बहुत कम मामलों में, जहां वसूली के प्रयास असफल हो जाते हैं, वहां प्रतिभूतियों को जब्त करने, डीआरटी आदि के साथ मामले पर कार्रवाई करने सहित प्रबंधक वर्ग के अनुमोदन से सभी आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

संगठन में समीक्ष/रिपोर्टिंग की सशक्त प्रणाली विद्यमान है।

3.5.7 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन अनुभाग

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन अनुभाग एजेंडा और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के कार्यवृत्त तैयार करता है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निगम को होने वाले तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करता है।